राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.6 (2)गृह/ सम्पर्क/सचि./2002/ जयपुर, दिनांक : 30 SEP 2014

समस्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाएं

परिपत्र

विषय : राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम, सहकारी संस्थाएं एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने के संबंध में।

1. राजस्थान विज्ञापन नीति–2001 के खण्ड–3 में यह प्रावधान है कि राजकीय उपक्रम कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, विपणन बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्था, बोर्ड, पंचायती राज संस्थायें, अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं के विज्ञापन राजस्थान विज्ञापन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं के स्तर पर जारी किये जा सकेंगे या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया/एजेन्सी के माध्यम से जारी किये जा सकेंगे।

2. राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 1 दिसम्बर,2002 के पश्चात् से समस्त राजकीय विभागों/निगम/ बोर्ड एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं के समस्त प्रकार के सजावटी विज्ञापन केवल राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे।

3. बिन्दू संख्या दो में वर्णित निर्णय से समस्त सम्बन्धितों को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 15.11.2002 में निर्देशित कर समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2002 से बैठक कार्यवाही विवरण भिजवा दिया गया था। समसख्यंक परिपत्र दिनांक 20.1.2003 से पुनः निर्देश जारी किये गये।

4. उपरोक्त वर्णित निर्णय एवं निर्देशों की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन भी अब राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जावेंगे।

5. यह प्रक्रिया दिनांक 10.10.2014 से प्रभावी होगी।

6. राज्य सरकार के निर्णय की पालना में उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 में वर्णित समस्त संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन उनके द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 तक ही जारी किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् समस्त प्रकार के वर्गीकृत विज्ञापन राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जा सकेंगे।

7. उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में राजस्थान संवाद के माध्यम से जारी किये जाने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के क्रम में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

(राजीव स्वरूप)
प्रमुख शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग